कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

Email-election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713551,2713724

संख्या 2424 /xxv–40/ 2021 देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2022

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सचिवालय, देहरादून।

विषयः– कोविड–19 के नियंत्रण हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1048/यू0एस0डी0एम0एल0/792 (2020) टी0सी0–2 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना हेतु प्रयुक्त हॉल/कक्ष के पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग करने से सम्बन्धित है। आपके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मतगणना हॉल/कक्ष का उपयोग पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकता है यद्यपि **केवल Double Vaccinated (Covid-19) व्यक्ति ही मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकेंगे।**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Conduct of General elections/Bye-Elections during covid 19 Revised Broad Guidelines 2022 के बिन्दु सं0 22 में उल्लिखित है कि, **"No person shall be allowed to enter Counting hall without double vaccination and if they are not vaccinated/single vaccinated, RT-PCR/RAT from authorized lab will be required within 48 hours from start of counting."**

उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि दोनों में से कौन से दिशा–निर्देश प्रभावी माने जाएंगे।

संलग्नक–उक्तानुसार।

935/ACEO/2022
ED USDMA

भवदीय

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

07/03/22
(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कोविड के दौरान

सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन

के संचालनार्थ

पुनरीक्षित व्यापक दिशा–निर्देश–2022

भारत निर्वाचन आयोग

10. सार्वजनिक सड़कों, गोल चक्कर या सार्वजनिक गलियों या कोनों पर **नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी।**

11. इसके अलावा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वह कोविड सुरक्षा मानदंडो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **भौतिक मोड के बजाय डिजीटल, बर्चुअल, मीडिया प्लेटफार्म, मोबाइल आधारित मोड के माध्यम से** जितना संभव हो सके अपने अभियान का संचालन करें।

12. **डोर–टू–डोर अभियान–** अभ्यर्थी, सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर, यदि कोई हो, अधिकत्तम 5 (पाँच) व्यक्तियों को घर–घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी जायेगी।

13. **प्रत्येक 5 (पाँच) वाहनों के बाद वाहनों का काफिला तोड़ा जाए,** और वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल, 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घण्टे का होना चाहिए। (रिटर्निगं आफिसर हस्तपुस्तिका–2019 के पैरा 5.8.1 को अतिक्रमित करते हुए) अनुमत अभियान अवधि के दौरान, वाहनों के काफिले को केवल प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहनों की आवाजाही के लिए अनुमति दी जायेगी।

14. **स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या–** मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या–40 के स्थान पर 30, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए 20 के स्थान पर 15 निर्धारित की गयी है। सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए अभियान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पहले स्टार प्रचारकों द्वारा अभियान की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

15. **मतगणना के पश्चात किसी भी विजयी जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी** और रिटर्निंग आफिसर से चुनाव का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए विजयी उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

16. **यदि कोई अभ्यर्थी या राजनैतिक दल उपरोक्त में से किसी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करता है,** तो संबंधित अभ्यर्थी/राजनैतिक दल को रैलियों, बैठकों आदि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. आर्योग द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को निर्देशित किया गया कि, निर्वाचनाधीन राज्यों में निर्वाचन कार्य में लगे/तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए ऐसे सभी पात्र सरकारी कार्मिकों को एहतियात के तौर पर कोविड–19 की अतिरिक्त डोज की सुविधा प्रदान करें।

II. **सभी व्यक्तियों के लिए सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुपालन किए जाने वाले सामान्य दिशा–निर्देश।**

तलाश कर अन्तर–एजेंसी समन्वय को स्थापित करता है और पर्यवेक्षक के रुप में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। सभी निर्धारित निर्देश आपदा प्रभावितों को सम्मिलित करने, क्षति को कम करने, नियंत्रित करने और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने को दिए जाते हैं। ये सभी निर्देश D M Act के अनुपालन में होते हैं। D M Act में नामित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 51–60 के अन्तर्गत अधिनियम के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी, दण्डात्मक कार्यवाही करने की शक्ति भी प्रदान करती है।

7. आयोग ने NEC के अध्यक्ष और चुनाव वाले पाँच राज्यों के SEC's के अध्यक्षों से विचार–विमर्श के पश्चात् नामित अधिकारियों/समितियों द्वारा DM Act के तहत बनाये गए कानूनी/संस्थागत कार्य प्रणाली के अनुसार समय–समय पर की जा रही कार्यवाही का अवलोकन किया। कोविड–19 और उसके विभिन्न रुपों के कारण हो रही महामारी को दृष्टिगत रखते हुए नामित प्राधिकारियों/ समितियों द्वारा निर्धारित कोविड अनुरुप व्यवहार का क्रियान्वयन चुनावी प्रक्रिया के दौरान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अधिसूचित ओमिक्रान (Omicron) के रुप में नामित वैरियंट ऑफ कंसर्न (VOC) और मौजूदा स्थिति के दृष्टिगत आयोग ने अपने मौजूदा दिशा–निर्देशों का परीक्षण करने के पश्चात्, इस विषय पर अपने सभी पूर्व दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 के तहत नामित अधिकारियों/समितियों के उत्तरदायित्व को complement (पूरक), न कि दोहराते हुए (Not Repeat) और न ही बदलते हुए (Not to Substitute) अपने व्यापक दिशा–निर्देशों में संशोधन/सुधार किया है।

8. आयोग ने यह निर्देशित किया कि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिलाधिकारी पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन कर आवश्यक निगरानी करेंगे और साथ ही कड़ाई से कोविड दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन का ध्यान रखेंगे। NDMA और संबंधित एसडीएमए/डीडीएमए द्वारा जारी दिशा–निर्देश भी कड़ाई से लागू होंगे।

<u>दिशा–निर्देशों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–</u>

I. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अन्य द्वारा प्रचार अभियान

1. यह अपेक्षित है कि सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, चुनावी प्रचारक, मतदाता एवं अधिकारी पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सचेत रहने के अपने प्रधान कर्तव्य का पालन करेंगे। वह कानूनी सामान्य निर्देशों एवं कोविड अनुरुप व्यवहार का क्रियान्वयन करेंगे।

2. दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी **साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस, पद यात्रा और रोड़ शो की अनुमति नहीं दी जाएगी**। इसके पश्चात् आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा करते हुए तदनुसार निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

3. दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों या संभावित उम्मीदवारों या चुनाव से संबंधित किसी अन्य समूह को किसी भी प्रकार से **भौतिक रैली**

ii. जहाँ तक संभव हो इसे विकेन्द्रीकृत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए।

iii. चुनाव सामग्री के वितरण/संग्रह हेतु मतदान दलों को पूर्व से समय नियत कर आवंटित किया जाना चाहिए।

31. मतदान कार्मिकों को तीसरे रेण्डोमाइजेशन का समय :– डिस्पैच सेन्टर पर मतदान कार्मिकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए, मतदान कार्मिकों के तीसरे रेण्डोमाईजेशन का समय 24 घण्टे से बढ़ाकर 72 घण्टे किया जाय।
(आयोग के पत्र संख्या– 464/Inst/2008/EPS **दिनांक 19 सितम्बर, 2008 का अधिक्रमण किया जाता है)**

32. हर मतदाता कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी (जिन्हें PPE Kit की आवश्यकता है के अलावा) को अन्य निर्धारित वस्तुओं के साथ निम्नलिखित वस्तुएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी:–

i. मॉस्क
ii. सैनिटाइजर
iii. फेस–शील्ड
iv. ग्लब्स/दस्तानें

33. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:–

i. जहाँ तक संभव हो, चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत तरीके से बड़े सभागारों में किया जाएगा।

ii. चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण ऑन लाईन मोड के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है।

iii. सभी पीपीटी, प्रशिक्षण सामग्री, प्रासंगिक दस्तावेज, विषयवार वीडियो क्लिप, स्वमूल्यांकन के लिए प्रश्नपत्र एप/पोर्टल में अपलोड किए जा सकते हैं ताकि कोई भी चुनाव अधिकारी आवश्यकता के अनुसार इसे एक्सेस कर सके।

iv. मतदान, मतगणना/मतदान से संबंधित कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या डीईओ/ आरओ द्वारा आरक्षित रखी जायेगी, ताकि किसी भी कार्मिक में कोविड–19 लक्षण प्रदर्शित होने की स्थिति में उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके।

34. नामांकन प्रक्रिया:– ऑनलाईन मोड को सुविधाजनक/आसान करने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं:–

i. नामांकन–फार्म सीईओ/डीईओ वेबसाईट पर भी ऑनलाईन उपलब्ध होगा। एक इच्छुक अभ्यर्थी इसे ऑनलाईन भर सकता है और इसका प्रिन्ट रिटर्निंग आफिसर के समक्ष जमा करने के लिए लिया जा सकता है, जैसा कि फार्म–1 चुनाव संचालन नियम–1961 के नियम–3 में निर्दिष्ट है।

शरीर का तापमान दुबारा से चैक किया जायेगा। दूसरी बार भी तापमान तय मानक से अधिक पाये जाने पर मतदाता को एक टोकन या सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान हेतु निर्धारित समय के आखिरी घण्टे में मतदान करने हेतु बुलाया जायेगा। मतदान के इस आखिरी घण्टे में ऐसे मतदाताओं को कोविड–19 अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी।

v. मतदान केन्द्र पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण के लिए हैल्प डैस्क स्थापित किया जायगा, ताकि मतदाताओं को कतार में इन्तजार न करना पड़े।

vi. कतार में सामाजिक दूरी दर्शाने हेतु निशान लगायें।

vii. स्थान की उपलब्धता के आधार पर कतार में खड़े मतदाताओं के लिए 2 गज की दूरी (6फिट), पर 15–20 गोल घेरे बनाये जायेंगे। पुरुष, महिला एवं दिव्यांग/बुजर्ग मतदाताओं के लिए तीन अलग–अलग पंक्तियाँ होंगी।

viii. मतदाताओं के मध्य सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने हेतु बी0एल0ओ0 तथा स्वयंसेवकों की सेवाऐं ली जा सकती हैं।

ix. मतदान केन्द्र–परिसर के भीतर महिला और पुरूषों के लिए कुर्सियाँ, दरी आदि के साथ अलग–अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मतदाता निश्चिंत होकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके।

x. मतदान केन्द्र पर जहाँ भी संभव हो बूथ एप का प्रयोग किया जायेगा।

xi. मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास द्वार पर **सैनिटाइजर** उपलब्ध रहेगा।

xii. ऐसे मतदाता जो बिना फेस मास्क के मतदान स्थल पर आये हैं उनके लिए **फेस मास्क** की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध रखी जायेगी।

xiii. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आसानी से दिखाई दिये जाने वाले स्थान पर कोविड की जागरुकता से सम्बन्धित एक पोस्टर लगाया जायेगा।

xiv. मतदान केन्द्रों में मतदान कार्मिकों एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के मानकों के अनुसार की जायेगी।

xv. अगर किसी मतदान अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता के शरीर का तापमान तय मानक से ज्यादा पाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके स्थान पर उनके प्रतिस्थानी (Reliever) को कार्य करने की अनुमति दी जायेगी और इसका रिकार्ड पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

xvi. यदि आवश्यक हुआ तो मतदाता को मतदान के समय पहचान हेतु एक बार मास्क को चेहरे से नीचे करना होगा।

xvii. सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु मतदान अधिकारी के सामने किसी भी समय केवल 1 (एक) ही मतदाता को खड़े होने की अनुमति दी जायेगी।

- प्रत्येक मतगणना कार्मिक और सुरक्षा कर्मियों को मॉस्क, सैनिटाइजर, फेस–शील्ड और हैण्ड ग्लब्स उपलब्ध कराए जाएं।

I. मतगणना हॉल में 07 (सात) से अधिक मतगणना टेबल की अनुमति नहीं होगी। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करके 3–4 हॉलों में मतगणना हेतु विचार किया जा सकता है। (आयोग के तद्विषयक निर्देश दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को अधिक्रमित करते हुए)

II. मतगणना से पूर्व, मतगणना के दौरान और मतगणना के पश्चात, मतगणना केन्द्र को कीटाणुरहित (Disinfected) किया जाएगा।

III. डाक मतपत्रों की गणना के लिए अतिरिक्त संख्या में ए.आर.ओ. की आवश्यकता हो सकती है। यदि आवश्यक हो, तो डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर की देख–रेख में अलग हॉल में की जा सकती है।

i. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से कोविड दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा मतगणना केन्द्र में कोविड दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुपालन प्रमाण पत्र लिया जाए।

ii. मतगणना अभिकर्ताओं की सूची मतगणना से तीन दिन पूर्व अपरान्ह 05:00 बजे तक अभ्यर्थियों के द्वारा रिटर्निंगं आफिसरों को उपलब्ध करायी जाय।

iii. मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल के बाहर कोई भी जनसभा नहीं होगी।

iv. रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

यह जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है कि, कोविड–19 संबंधी उपायों के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही और अन्य कानूनी प्राविधानों के अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40-3/2020-DM-I (a) दिनांक 29 जुलाई, 2020 में निर्दिष्ट है। राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इन्हें सभी संबंधितों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–20 के तहत, मुख्य सचिव राज्य कार्यकारी समिति के सहपदेन अध्यक्ष, महामारी के प्रसार को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्य में कोविड के संदर्भ में विकसित हो रहे (Evolving trends) नये प्रासंगिक चलन/स्थिति जो इस सामान्य निर्वाचन के व्यापक दिशा–निर्देशों में शामिल नहीं है को तुरन्त आयोग के संज्ञान में लायेंगे ताकि आयोग अधिकृत रुप से प्रदेश की निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर तद्नुरुप निर्देश निर्गत करने में सक्षम हो सके और कोविड के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा किये जा रहे प्रयासों को कामप्लिमेन्ट (Complement) कर सके।

* * * * * * * *